न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी : उमर दीन खान,
आई.ए.एस.

प्रा0प0 संख्याः 34ब / 2021

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं। – प्रार्थी

बनाम

श्री हेमराज पुत्र श्री ज्ञानाराम कुमावत, निवासी टमकोर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं। – अप्रार्थी

— — —

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जप्तशुदा 107 लीटर डीजल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 5 लीटर का माप व लोहे का एक कीप को राजसात करने बाबत।

— — —

उपस्थित : –

1. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक – प्रार्थी की ओर से।
2. श्री शिवनारायण सिंह, एडवोकेट – अप्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांकः– 11.10.2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विद्वान जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं की ओर से प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रा0प0 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं के पद पर पदस्थापित है जो लोक सेवक की श्रेणी मे आता है। दिनांक 16.02.2021 को जरिये मुखबीर श्री हेमराज पुत्र श्री ज्ञानाराम कुमावत, उम्र 50 वर्ष, निवासी टमकोर, तहसील मलसीसर के द्वारा डीजल/पेट्रोल के अवैध भंडारण व बिक्री की शिकायत प्राप्त होने पर मैं कपिल झाझडिया, जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं बहमराह रामावतार, प्रर्वतन निरीक्षक, झुंझुनूं जांच हेतु बस स्टेण्ड टमकोर, तहसील मलसीसर पहुंचे। श्री हेमराज पुत्र श्री ज्ञानाराम कुमावत, उम्र 50 वर्ष, निवासी टमकोर, तहसील मलसीसर की बस स्टेण्ड टमकोर तहसील मलसीसर पर दुकान है जहां वे उपस्थित थे। मौके पर दुकान मे लोहे का एक कीप व पांच लीटर का लोहे का माप व एक प्लास्टिक ड्रम मे डीजल रखा पाया जिसकी जांच व मापे जाने पर ड्रम मे कुल 110 लीटर डीजल भंडारित पाया। मौके पर 110 लीटर डीजल भण्डारित पाये जाने एवं बिक्री करने के साक्ष्य के रूप मे 5 लीटर क्षमता का माप पाये जाने पर श्री हेमराज पुत्र श्री ज्ञानाराम कुमावत, उम्र 50 वर्ष, निवासी टमकोर, तहसील मलसीसर से डीजल अपने अधिकार मे रखने व बिक्री करने के संबंध मे कोई दस्तावेज मांगे जाने पर उपलब्ध नही करवाये। बिन्दू सं0 1 से 4 के तथ्यों के आधार पर मौके पर उपलब्ध 110 लीटर डीजल मय लोहे का एक कीप, 5 लीटर का लोहे का माप व एक प्लास्टिक ड्रम मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 की धारा

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

2 (R) का उल्लधंन पाये जाने पर जब्त सरकार किया गया व एक–एक लीटर के तीन सैम्पल तैयार कर शेष 107 लीटर डीजल मय लोहे का एक कीप, पांच लीटर का लोहे का माप व एक प्लास्टिक ड्रम को सुरक्षा की दृष्टि से जांच सहयोग हेतु मौके पर बुलाये गये श्री रतनलाल पुत्र श्री मोहनलाल, जाति मीणा, उम्र 45 वर्ष, निवासी वार्ड नं0 2, टमकोर, तहसील मलसीसर की सुपुर्दगी मे दिया गया। इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री हेमराज पुत्र श्री ज्ञानाराम कुमावत, उम्र 50 वर्ष, निवासी टमकोर, तहसील मलसीसर द्वारा डीजल का अवैध भंडारण एवं विक्रय कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट आदेश 2005 की धारा 2(R) व धारा 3(4)(6) का स्पष्ट उल्लधंन किया है। अतः उपर्युक्त जब्तशुदा 107 लीटर डीजल (110 मे से 3 लीटर का सैम्पल मे प्रयुक्त होने से कम करने पर) मय लोहे का एक कीप, पांच लीटर का लोहे का माप व एक प्लास्टिक ड्रम को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात करने का कष्ट करें। चूंकि डीजल एवं ज्वलनशील पदार्थ है व इसमे छीजत की संभावना है। अतः उक्त डीजल के अंतरिम निस्तारण आदेश जारी करने का भी कष्ट करें।

बहस सुनी गयी। विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि दिनांक 16.02.2021 को श्री हेमराज पुत्र श्री ज्ञानाराम कुमावत, उम्र 50 वर्ष, निवासी टमकोर, तहसील मलसीसर की बस स्टेण्ड टमकोर तहसील मलसीसर की दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर दुकान मे लोहे का एक कीप व पांच लीटर का लोहे का माप व एक प्लास्टिक ड्रम मे डीजल रखा पाया जिसकी जांच व मापे जाने पर ड्रम मे कुल 110 लीटर डीजल भंडारित पाया। मौके पर 110 लीटर डीजल भण्डारित पाये जाने एवं बिक्री करने के साक्ष्य के रूप मे 5 लीटर क्षमता का माप पाये जाने पर श्री हेमराज पुत्र श्री ज्ञानाराम कुमावत, उम्र 50 वर्ष, निवासी टमकोर, तहसील मलसीसर से डीजल अपने अधिकार मे रखने व बिक्री करने के संबंध मे कोई दस्तावेज मांगे जाने पर उपलब्ध नही करवाये। इस प्रकार श्री हेमराज पुत्र श्री ज्ञानाराम कुमावत, उम्र 50 वर्ष, निवासी टमकोर, तहसील मलसीसर द्वारा डीजल का अवैध भंडारण एवं विक्रय कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट आदेश 2005 की धारा 2(R) व धारा 3(4)(6) का स्पष्ट उल्लधंन किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपर्युक्त जब्तशुदा 107 लीटर डीजल (110 मे से 3 लीटर का सैम्पल मे प्रयुक्त होने से कम करने पर) मय लोहे का एक कीप, पांच लीटर का लोहे का माप व एक प्लास्टिक ड्रम को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात करने का कष्ट करें। चूंकि डीजल एवं ज्वलनशील पदार्थ है व इसमे छीजत की संभावना है। अतः उक्त डीजल के अंतरिम निस्तारण आदेश जारी करने का भी कष्ट करें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी ने दस्तावेज सूची किता 1 पेश की। विद्वान वकील अप्रार्थी बहस के दौरान विभागीय पैरोकार के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी की दुकान पर मात्र 110 लीटर डीजल भण्डारित पाया गया था तथा एक 5 लीटर का माप पाया गया था। केन्द्र सरकार के नियमानुसार अप्रार्थी 2500 लीटर डीजल एवं राज्य सरकार के नियमानुसार अप्रार्थी 1000 डीजल रख सकता है। अप्रार्थी दोनों

ही नियमों के दायरे मे है। अप्रार्थी के पास 3 गाडियां जिसमे जे0सी0बी0 एवं बसे है। प्रार्थी उक्त गाडियों मे डालने के लिए ही उक्त 110 लीटर डीजल चूरू के मरूधर ट्रांसपोर्ट कम्पनी पेट्रोल पम्प से दिनांक 14.02.2021 को बिल सं0 7928 के जरिये खरीद कर लाया था। जहां तक 5 लीटर के माप का सवाल है उक्त माप अपनी स्वयं की गाडियों मे नाप कर डीजल डालता है ताकि गाडी के डीजल खर्च का आंकलन हो सके। कार्यवाही के दौरान जिला रसद अधिकारी मौके पर नही थे। उक्त कार्यवाही के लिए प्रर्वतन निरीक्षक/प्रर्वतन अधिकारी सक्षम नही है। अप्रार्थी ने कोई अपराध नही किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थी के विरूद्व की जा रही कार्यवाही को ड्रोप फरमाया जावे तथा प्रार्थी का जप्त शुदा डीजल अप्रार्थी को अतिशीघ्र दिये जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि जिले मे काफी पेट्रोल पम्प है फिर अप्रार्थी ने अपने घर पर 110 लीटर से ज्यादा डीजल क्यों रखा है। डीजल घर पर रखना खतरनाक है। क्योंकि किसी भी तरह की दुर्घटना/आग लगने पर बचाव के कोई उपाय अप्रार्थी के पास नही है। यदि अप्रार्थी को उक्त डीजल बेचान नही करना था तो मौके पर माप क्यों रखे गये थे इसका अप्रार्थी ने बहस मे सन्तोषजनक जबाब नही दिया है। अतः प्रकरण मे निम्न प्रकार आदेश दिये जाते है:–

1. डीजल में छीजत नहीं हो तथा खुर्द बुर्द से बचाने के लिये इस डीजल का निस्तारण किया जाना उचित है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर हम जप्त किये गये डीजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)के तहत अधिहरण किया जाना न्यायोचित समझते है
2. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को निर्देशित किया जाता है कि वह जब्तशुदा 107 लीटर डीजल (110 मे से 3 लीटर का सैम्पल मे प्रयुक्त होने से कम करने पर) मय लोहे का एक कीप, पांच लीटर का लोहे का माप व एक प्लास्टिक ड्रम 110 लीटर डीजल का आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के क्लॉज 2 के बिन्दु 1 के तहत राजसात कर नियंत्रित कीमत पर विक्रय करवाकर राशि को राजकोष में जमा करें। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11.10.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/10/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं